भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *204
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 / 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर हमलों और साइबर अपराधों की रोकथाम

***204. श्री ईश्वरस्वामी के.:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार अन्य देशों की मदद से साइबर हमलों, हैकिंग और कई अन्य कंप्यूटर – आधारित अपराधों को रोकने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो देश में साइबर अपराध के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है, इसका ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार की किसी सुरक्षा एजेंसी की मदद से देश में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *204, दिनांक 10.12.2024

दिनांक 10.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *204 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), इंटरपोल के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सहयोग पहलों में भाग लेता है, जिससे सीमा पार से साइबर अपराध संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ावा मिलता है।

iii. सीबीआई डेटा संरक्षण अनुरोधों के लिए भारत में नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है, साइबर अपराध से संबंधित डेटा का समय पर और सुरक्षित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए जी7 24/7 नेटवर्क के माध्यम से ऐसे अनुरोध भेजता और प्राप्त करता है।

iv. सीबीआई में राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) एक केंद्रीय समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो इंटरपोल चैनलों के माध्यम से साइबर अपराध की जानकारी के संग्रह और प्रसार की सुविधा प्रदान करता है।

v. भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के साथ टेलर्ड अलर्ट एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और उसे साझा करने के लिए एक स्वचालित साइबर थ्रेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का संचालन करता है, ताकि उनके द्वारा खतरे को कम करने के लिए सक्रिय कार्रवाई की जा सके।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *204, दिनांक 10.12.2024

vi. सर्ट-इन ने मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में आवश्यक स्थितिजन्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना की है।

vii. सर्ट-इन दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम का पता लगाने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर एनालिसिस सेंटर) को संचालित करता है और इसे हटाने के लिए टूल्स निःशुल्क मुहैया कराता है तथा नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियां और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है।

viii. साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि साइबर सुरक्षा की स्थिति एवं सरकार तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संगठनों की तैयारी का आकलन किया जा सके। अब तक सर्ट-इन द्वारा ऐसे 104 अभ्यास किए गए हैं, जिनमें विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लगभग 1450 संगठनों ने भाग लिया था।

ix. सर्ट-इन आईटी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने और साइबर हमलों को कम करने के संबंध में सरकार और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के नेटवर्क / सिस्टम प्रशासकों तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। अक्टूबर, 2024 तक 103 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 32,075 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

x. केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी संबंधी धोखाधड़ियों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समाचार पत्र में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में उद्घोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया इंफ्लुएनसर का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम और दिनांक 27.11.2024 को कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में राहगीरी कार्यक्रम में भाग लेना शामिल है।

xi. आई4सी ने डिजिटल गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 1700 से अधिक स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप खातों की सक्रिय रूप से पहचान की और उन्हें ब्लॉक कर दिया।

xii. केंद्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस, एनसीबी, सीबीआई, आरबीआई और अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों का छद्म भेष धारण करने वाले साइबर अपराधियों द्वारा 'ब्लैकमेल' और 'डिजिटल गिरफ्तारी' की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट पर एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की है।

xiii. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *204, दिनांक 10.12.2024

तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसके परिणामस्वरूप विभिन्न बैंकों के 8.6 लाख अवैध खातों का डेबिट फ्रीज हुआ है और बैंकों द्वारा कार्रवाई किए जाने का समय भी कम हुआ है।

xiv. दिनांक 15.11.2024 तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1,32,000 आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

xv. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी ने 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

xvi. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है। अब तक, 9.94 लाख से अधिक शिकायतों में 3431 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचाई गई है।

दिनांक 10.09.2024 को बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सहयोग से आई4सी द्वारा साइबर अपराधियों की पहचान करने वाले लोगों की सस्पेक्ट रजिस्ट्री शुरू की गई है, जिससे धोखाधड़ी से किए गए लेनदेनों की संख्या में 5.6 लाख से अधिक की कमी आई है और 1400 करोड़ से अधिक की राशि बचाई गई है। इन पहलों से 4800 करोड़ से अधिक की धनराशि को बचाया गया है।

xvii. केंद्र सरकार ने https://cybercrime.gov.in पर 'रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट' नामक एक नई सुविधा शुरू की है। यह सुविधा नागरिकों को 'संदिग्ध खोज' के माध्यम से साइबर अपराधियों की पहचान संबंधी आई4सी के भंडार में खोजने के लिए एक खोज विकल्प प्रदान करती है।

xviii. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म,

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *204, दिनांक 10.12.2024

डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

xix. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साथ लेकर साइबर अपराध संक्रेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/ बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर, पूरे देश को कवर करते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।

xx. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 11,203 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) ने राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

xxi. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)"प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 98,698 से अधिक पुलिस अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 75,591 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

xxii. राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्य) की स्थापना हैदराबाद में की गई है। इस प्रयोगशाला की स्थापना से साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्य के मामलों, साक्ष्य के संरक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इसका विश्लेषण करने में आवश्यक फॉरेंसिक सहायता मिलती है और इससे टर्नअराउंड समय भी कम हुआ है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *204, दिनांक 10.12.2024

xxiii. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' स्कीम के तहत 131.60 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों के 24,600 से अधिक कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध संबंधी जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

xxiv. आई4सी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 7,330 अधिकारियों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है।

xxv. आई4सी ने एनसीसी और एनएसएस के क्रमशः 40,151 और 53,022 से अधिक कैडेटों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है।

xxvi. साइबर अपराध की रोकथाम, उनके बारे में जागरूकता, उनकी फॉरेंसिक जांच आदि के मामलों में आई4सी द्वारा 891 न्यायिक अधिकारियों, 395 लोक अभियोजकों, 12 फॉरेंसिक विशेषज्ञों और एलईए के 2180 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

xxvii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो कैंपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, कई माध्यमों से प्रचार हेतु MyGov का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

*****